न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–35/2013–14

श्री राजेश कुमार

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.

आदेश

9.8.16

प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश, जिसके द्वारा राजेश कुमार जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–01बी0/2012 की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, के विरूद्ध अंगीकृत है।

स्वतः स्पष्ट आदेश में अंकित है कि दिनांक 03.01.2014 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा संदर्भित विक्रेता के दुकान की जाँच की गयी तथा जाँच में कई गंभीर अनियमितता रेखांकित की गयी है। मुख्यतः कार्य अवधि में दुकान बंद पाये जाने, निरीक्षण के समय भंडार में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल रखे रहने का उल्लेख है। विक्रेता के विरूद्ध यह भी प्रतिवेदित है कि जाँच हेतु भुगतान शुदा कूपन, भंडार पंजी, बिक्री पंजी, निरीक्षण पंजी एवं शिकायत पंजी की मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। विक्रेता के विरूद्ध महादलितों को निर्धारित मात्रा से कम सामग्री उपलब्ध करांये जाने का उल्लेख है।

तथ्यों के विश्लेषणोंपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी का निष्कर्ष/आदेश निम्नवत है :–

"अतः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में तथा महादलित उपभोक्ताओं का व्यान एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता श्री राजेश कुमार पंचायत सकरोहर के द्वारा उपरोक्त आरोप सही प्रतीत होता है इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन (नियंत्रण) आदेश 2011 के कंडिका–7(2) के तहत विक्रेता श्री राजेश कुमार के अनुज्ञप्ति संख्या–01बी0/2012 को रद्द किया जाता है।"

अपीलार्थी द्वारा, अपील आवेदन के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर के संदर्भित प्रतिवेदन, जिसपर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गयी है को अनुचित मानते हुए अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि चूँकि सामग्री का वितरण तीन दिनों से लगातार किया जा रहा था, इसलिए भंडार में सामग्री पड़ी हुई थी। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समरूप तथ्यों की चर्चा की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी के कथन का खंडन करते हुए अपील आवेदन को खारिज योग्य बताया है। अपीलार्थी द्वारा जाँच के समय आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराने को गंभीर अनुशासनहीनता का प्रतीक बताया है। कागजात अनुउपलब्ध रहने की स्थिति में तथ्यों का आकलन नहीं किया जा सका।

वस्तु स्थिति के सम्यक विचारण हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। अभिलेख के आदेश फलक के पठन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी इस तथ्य से सहमत थे कि

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

विक्रेता द्वारा दुकान संचालन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है। कार्य अवधि में दुकान का बंद रहना तथा दुकान अत्यधिक भंडार संचित रखना न केवल गंभीर लापरवाही है बल्कि आपराधिक कृत्य के समरूप है। अपीलार्थी अपने बचाव के तर्को से न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि उनके द्वारा आवश्यक कागजातों/पंजियों को जाँच पदाधिकारी के समक्ष क्यों नहीं लाया गया।

उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित दिनांक 13.11.2014 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

डी0बी0 01(40) / विधि, दिनांक 9/8/2016

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।